



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2019/1412

भोपाल, दिनांक 31.07.2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालय में सत्र जुलाई 2019 से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लागू नवीन च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) मिलेबस के प्रथम सेमेस्टर में निम्नानुसार ओपन इलेक्टिव प्रश्न-पत्र निर्धारित किए जाते हैं।

1. सत्र जुलाई 2019 में प्रारंभ नवीन पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर हेतु

क्र.	पाठ्यक्रम	ऐच्छिक (Open Elective) विषय	संचालक विभाग
1	स्नातकोत्तर (प्रत्येक विषय में 3 क्रेडिट)	Soft Skills for Managers (1MBAMB)	मीडिया प्रबंधन
		Cyber Crime & Laws (1MCA)	कम्प्यूटर अनुप्रयोग
		Python Programming (3MCA LE)	पत्रकारिता
		Newspaper and Magazines : Structure and Functions (1MAJ)	पत्रकारिता
		Advertising & Public Relations (1MAAPR)	विज्ञापन एवं जनसंपर्क
		Understanding Cinema (1MSCFP)	नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी
		Digital Printing Process (1MSCNM)	जनसंचार
		Art of Photography (1MAMC)	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

2) विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम में इन ऐच्छिक विषयों में से किसी एक का चयन कर संबंधित विभाग, परिसर एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाएं में इसका अध्ययन करेंगे।

3) उपरोक्त ओपन इलेक्टिव केवल सत्र 2019 से प्रारंभ नवीन पाठ्यक्रमों के मिलेबस हेतु हैं। पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों के ओपन इलेक्टिव यथावत रहेंगे।

4) विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी उपरोक्त में से केवल उन्हीं ऐच्छिक (Open Elective) विषय का चयन कर सकेंगे जिनके अध्यापन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर परिसर अथवा संबद्ध अध्ययन संस्थान द्वारा की जा सकती है।

CBCS पद्धति के नये पाठ्यक्रम संबंधित विभाग से अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mcu.ac.in के Download सेक्शन से डाउनलोड/प्राप्त किये जा सकते हैं।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 31.07.2019

क्र./अका./2019/1413

प्रतिनिधि:-

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. प्रो. पवित्र श्रीवास्तव, डीन अकादमिक को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ परिसर प्रभारी/समन्वयक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
7. वेबसाईट प्रभारी की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
8. आदेश पुस्तिका।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
प्रभारी कुलसचिव